रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 54] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 28, 1972/माघ 8, 1893

No. 54] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 28, 1972/MAGHA 8, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January 1972

S.O. 71(E).—In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected to fill the vacancy in the Council of States is published for general information :—

DECLARATION

Bye-election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of Orissa.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Raja Kamakhyaprasad Singh Deo Mahendra Bahadur,

Palace, P.O./Distt. Dhenkanal has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the death of Shri Surajmal Saha.

PLACE: Bhubaneswar.

DATE: 13th January, 1972

(Sd.) N. RATH,
Returning Officer."

[F. No. 13(1)/72-Leg.II.]

N. D. P. NAMBOODIRIPAD, Jt. Secy.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1972

का० आ० 71(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणा, जिसमें राज्य सभा की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम दिया गया है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :—

घोषणा

उड़ीसा विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचन ।

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूं कि श्री सूरजमल साहा की मृत्यु से उस सदन में हुई रिक्ति को भरने के लिए—

राजा कामाख्या प्रसाद सिंह देव महेन्द्र बहादुर
पेलेस, डाकघर/जिला—ढेंकानल

सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये हैं ।

स्थान : भुवनेश्वर

तारीख : 13-1-72

(ह०) एन० राठ,
रिटर्निंग आफिसर ।"

[सं० फा० 13(1)/72-वि० II]

एन० डी० पी० नाम्बूदिरीपाद, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972